

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक-एफ 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/14-15/ 445

दिनांक:- 12/01/15

जिला निर्वाचन अधिकारी,  
(कलक्टर) नागौर।

**विषय:-** पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 – नाम निर्देशन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में।

**संदर्भ:-** सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिला परिषद, नागौर का पत्रांक 237 दिनांक 10.01.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आप द्वारा आयोग के पत्रांक 99/02.01.15 के द्वारा जारी निर्देशों के बिन्दु संख्या 5 के क्रम में शैक्षणिक योग्यता हेतु दसवीं उत्तीर्ण के मामले में दस्तावेजों के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि आयोग के पूर्व पत्रांक 99/02.01.2015 में अंकित सारणियों के बिन्दु संख्या-5 में शैक्षणिक योग्यता हेतु संलग्न दस्तावेजों के संबंध में स्पष्टीकरण वाले कॉलम में अंकित टिप्पणी को निम्नानुसार संशोधित कर पढ़ा जाए :-

प्रथम सारणी का बिन्दु संख्या-5 (जिला परिषद एवं पंचायती समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए)

| क्रम संख्या | संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज | संलग्न दस्तावेजों के संबंध में टिप्पणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5           | शैक्षणिक योग्यता               | राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 10 वीं उत्तीर्ण के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा अंकतालिका को प्रमाणित दस्तावेज के रूप में उम्मीदवार से प्राप्त किया जा सकता है। समक्ष बोर्डों की सूची पंचायती राज विभाग के पत्रांक एफ. 40निर्वा/विधि/पंचा/2014/6 दिनांक 02.01.2015 के साथ संलग्न कर भेजी जा चुकी है। |

द्वितीय सारणी का बिन्दु संख्या-5 (सरपंचों के निर्वाचन के लिए)

| क्रम संख्या | संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज        | संलग्न दस्तावेजों के संबंध में टिप्पणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5           | शैक्षणिक योग्यता (केवल सरपंच पद हेतु) | राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 5 वीं उत्तीर्ण (अनुसूचित क्षेत्र) 8वीं उत्तीर्ण (अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न) के मामले में किसी विद्यालय जिसकी परिभाषा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-2 के खण्ड (ढ) में दी गई है द्वारा जारी अंकतालिका अथवा टी.सी. को प्रमाणित दस्तावेज के रूप में उम्मीदवार से प्राप्त किया जा सकता है। |

(सत्यप्रकाश बसवाला)  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव  
दिनांक:- 12/01/15

क्रमांक-एफ 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/14-15/ 446

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान (जिला नागौर को छोड़कर) को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(सत्यप्रकाश बसवाला)  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव  
दिनांक:- 12/01/15